12/09/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.।
प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल
किया जाता है। पत्रावली को नंबर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2025/362

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 143/2025 GCMS:- 2025/362 **दायरा दिनांकः–** 06.06.2025

–: अनवान :–

1. मनीराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. भजनाराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. कृपाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान(स्वर्गवास) :–

2/1. कृष्ण पुत्र कृपाराम(स्वर्गवास):–

2/1/1. शांति पत्नी कृष्ण
2/1/2. जगदीश पुत्र कृष्ण
2/1/3. धर्मपाल पुत्र कृष्ण
} जाति मेघवाल निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2/2. दलीप पुत्र कृपाराम(स्वर्गवास) :–

2/2/1. वेदा देवी पत्नी दलीप
2/2/2. मांगीलाल पुत्र दलीप
2/2/3. कलवंत पुत्र दलीप
2/2/4. दिनेश पुत्र दलीप
} जाति मेघवाल निवासी भांखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2/3. शैलेन्द्र कुमार पुत्र कृपाराम(स्वर्गवास):–

2/3/1. परमेश्वरी पत्नी स्व. शैलेन्द्र जाति मेघवाल निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2/4. रामेश्वर पुत्र कृपाराम(स्वर्गवास) :–

2/4/1. लाजवंती पत्नी रामेश्वर
2/4/2. सहीराम पुत्र रामेश्वर
2/4/3. अनु पुत्री रामेश्वर
2/4/4. प्रिया पुत्री रामेश्वर
} जाति मेघवाल निवासी भांखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2/5. मोहन पुत्र कृपाराम(स्वर्गवास):–

2/5/1. कैलाश [illegible]
2/5/2. बलवीर पुत्र मोहन
2/5/3. नेहा पुत्री मोहन
} जाति मेघवाल निवासी भांखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2/6. कलोदेवी पुत्री कृपाराम जाति मेघवाल निवासी भाखरावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.......अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री अशोक छाबड़ा, सर्वजीत छाबड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 ता 2/5/3
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 12.09.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी संख्या 1 मनीराम के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस. डी. पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र रघुनाथपुरा की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 47 नया, 30 पुराना में पत्थर नम्बर 151/421 मु.न. 22 किला नम्बर 11/1, 19, 20 में 0.6320 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 किला नम्बर 14/1, 15, 16/2, 17, 18 में 0.9280 हैक्टेयर कमाण्ड कुल खाता 1.5600 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी संख्या 2 सहीराम के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस.डी. पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र रघुनाथपुरा की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 84 नया, 30 पुराना में पत्थर नम्बर 151/421 मु.न. 22 किला नम्बर 21, 22, 23/2 में 0.6330 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 किला नम्बर 16/1, 23 ता 25 में 0.9280 हैक्टेयर कमाण्ड कुल खाता 1.5610 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी संख्या 3 के नाम पत्थर नम्बर 152/421 के किला नम्बर 2 ता 5 में 1.0120 हैक्टेयर भूमि हैं जिसमें जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता हैं। प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी संख्या 3 को अपने उक्त वर्णित रकबा में जाने के लिए कोई स्वीकृत तशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सबसे नजदीक स्वीकृत रास्ता चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 152/420 मु.न. 20 के किला नम्बर 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में स्थित हैं। इस रास्ता से आगे पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16/1, 16/2, 25 के पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण चालू रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं जो रिकार्ड में स्वीकृतशुदा नहीं हैं। उक्त चालू रास्ता में आने वाले रकबा पत्थर नम्बर 152/421 का किला नम्बर 5 अप्रार्थी संख्या 2 कृपाराम का हैं तथा किला नम्बर 6 अप्रार्थी संख्या 1 चन्दुराम का हैं व आगे किला नम्बर 15 व 16/1, 16/2, 25 प्रार्थीगण स्वंय का हैं। प्रार्थीगण के रकबा में आवागमन के लिए प्रार्थीगण उक्त वर्णित चालू रास्ता चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16/1, 16/2, 25 के पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण किला नम्बर 5 में 0.019 हैक्टेयर, 6 में 0.019 हैक्टेयर, 15 में 0.019 हैक्टेयर तथा किला नम्बर 16/1 में 0.0[illegible] 16/2 में 0.007 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.0190 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के रकबा तक स्वीकृत करवाना चाहते हैं। यही रास्ता प्रार्थीगण की भूमि के सबसे समीपस्थ है। प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ता से अपनी भूमि में आना जाना करते हैं परन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत शुदा नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृत रास्ता प्रार्थीगण की भूमि को नहीं लगता हैं। चाहा गया रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि के समीपस्थ है। अतः निवेदन हैं कि तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16/1, 16/2, 25 के पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पासा में उतर से दक्षिण किला नम्बर 5 में 0.019 हैक्टेयर, 6 में 0.019 हैक्टेयर, 15 में 0.019 हैक्टेयर तथा किला नम्बर 16/1 में 0.012 हैक्टेयर, 16/2 में 0.007 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.019 हैक्टेयर प्रार्थीगण के रकबा तक रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त होकर प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2/5/3 जरिये अधिवक्ता हाजिर हुए तथा अपना जवाब लिखित में प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनाई। प्रार्थीगण ने केवल जिन मरब्बो से रास्ता मंजूर करवाना हैं उनका ही विवरण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं जबकि मुरब्बा न. 152/422 में भी प्रार्थीगण व उसके परिवार की भूमि हैं। इस मुरब्बा से होकर अगर प्रार्थीगण रास्ता मंजूर करवाते तो उन्हें अधिक सुविधा होती। लेकिन ना ही तो प्रार्थीगण ने पत्थर नम्बर 152/421 व उसके चिपते रकबा 151/421 के आस पास के मुरब्बो की वास्तविक स्थिति का विवरण दिया हैं और ना ही हल्का पटवारी व उपतहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नजरी नक्शा में आसापास के मुरब्बा का विवरण किया हैं। पत्थर नम्बर 152/422 में प्रार्थीगण या उसके परिवार की भूमि हैं जिसका इन्तकाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं होने के कारण ना ही रिकार्ड पर कहीं आया हैं और ना ही नजरी नक्शा में अंकित किया गया हैं। अगर पत्थर नम्बर 152/422 से होकर प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि के लिए रास्ता मंजूर करवाते हैं तो यह रास्ता उनके लिए सबसे सुलभ व सबसे निकटतम होगा। अप्रार्थीगण की भूमि कम हैं और परिवार अधिक बड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास थोड़ी थोड़ी भूमि ही हिस्सेनुसार आती हैं। अगर अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता मजूंर किया जाता हैं तो इससे अप्रार्थीगण का जीविकोपार्जन प्रभावित जोगा और अप्रार्थीगण का जीवन संकट में आ जायेगा। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खारिज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य हैं, चूंकि रिपोर्ट तहसीलदार से भी साबित हैं कि प्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं और रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हैं और सबसे समीपस्थ रास्ता प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता ही हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में लिखित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ भू.अभिलेख निरीक्षक वृत रघुनाथपुरा द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अंकित किया हैं कि प्रस्तावित रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम एवं सुसमत रास्ता हैं। प्रस्तावित रास्ते पर मौका पर कोई मकान पेड़, नहीं है। अ[illegible] द्वारा प्रस्तुत अपने लिखित जवाब के तथ्यों के समर्थन में कोई [illegible] नहीं किया हैं तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता साबित नहीं किया है। कानून की मंशा के अनुसार किसी खातेदार को अगर रास्ता की सुविधा [illegible] की सुविधा दी जानी आवश्यक हैं और मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे समीपस्थ हैं। चाहा गया रास्ता चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 किला नम्बर 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में 0.019 हैक्टेयर कृपाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल सा. भाखरावाली के नाम गैरखातेदार दर्ज हैं जिसका स्वर्गवास हो जाने पर वारिसान बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार मौजूद हैं, जबकि इसी पत्थर के किला नम्बर 6 अप्रार्थी 1 चन्दूराम के नाम व किला नम्बर 15, 16, 25 प्रार्थीगण स्वंय के नाम से हैं। इसलिए मात्र किला नम्बर 5 के काश्तकार को डी.एल.सी. दर की दुगूनी राशि का मुआवजा दिया जाना हैं अन्य काश्तकारो को स्वंय को रास्ता की आवश्यकता होने के कारण किसी प्रकार का मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र इसी अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 के किला नम्बर 5 में 0.019 हैक्टेयर, 6 में 0.019 हैक्टेयर, 15 में 0.019 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/1 में 0.012 हैक्टेयर, 16/2 में 0.007 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.019 हैक्टेयर भूमि इन किलो के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। किला न. 5 में स्वीकृत किये गये रास्ता 0.019 हैक्टेयर भूमि के बदले वर्तमान डी.एल. सी. दर की दुगुनी दर से राशि प्रार्थीगण से जमा करवाई जाकर इस भूमि के काश्तकार अप्रार्थी न. 1 कृपाराम पुत्र मूलाराम के वारिसो के द्वारा आवेदन करने पर उन्हे प्रदान की जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने के उपरान्त उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाकर अगर रास्ता मौके पर बन्द है तो खुलवाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक/राजस्व/रास्ता/143/2025/ 12.09.2025/5539 दिनांकः– 18.09.2025

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः– प्रकरण संख्या 143/2025 मनीराम आदि बनाम चन्दूराम आदि मे निर्णय दिनांक 12.09.2025 की पालना करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 152/421 मु.न. 23 के किला नम्बर 5 में 0.019 हैक्टेयर, 6 में 0.019 हैक्टेयर, 15 में 0.019 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/1 में 0.012 हैक्टेयर, 16/2 में 0.007 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.019 हैक्टेयर भूमि इन किलो के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। किला न. 5 में स्वीकृत किये गये रास्ता 0.019 हैक्टेयर भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी दर से राशि प्रार्थीगण से जमा करवाई जाकर इस भूमि के काश्तकार अप्रार्थी न. 1 कृपाराम पुत्र मूलाराम के वारिसो के द्वारा आवेदन करने पर उन्हे प्रदान की जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने के उपरान्त उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाकर अगर रास्ता मौके पर बन्द है तो खुलवाया जावे। उक्त अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested